

म०प्र०शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 11/08/2025
कमांक- ३४७ /723809/2025/20-3::आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल
से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कक्षा 9वीं में प्रवेश/नामांकन हेतु माध्यमिक
शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बिन्दु कमांक-1.3.6 के अनुसार
निर्धारित न्यूनतम 13 वर्ष आयु सीमा के बंधन को राज्य शासन एतद् द्वारा
शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये शिथिलता प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ओ०एल०मण्डलोई)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
पृ०कमांक-३४८/723809/2025/20-3 भोपाल, दिनांक 11/08/2025
प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
- (3) संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (4) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (5) समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- (7) समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
- (8) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- (9) फोल्डर प्रति,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग